मौलिक अधिकार का अर्थ (Meaning of Fundamental Rights)

वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतन्त्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पुनः इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारण तथा संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय हैं अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार न्यायोन्मुख होते हैं अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय आवश्यक कदम उठा सकती है।

भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र की विशेषताएँ

(i) सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्र - भारतीय संविधान का तृतीय भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार-पत्र से विस्तृत है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही अधिकार-पत्र इतना विस्तृत हो गया है।

(ii) मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित - भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धान्तों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण - सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएँ की गई है।

(iii) मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं - भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है क्योंकि संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबन्ध भी लगा दिए गए है।

Avinash

Scanned with CamScanner

(iv) प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं - संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता।

(v) मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था - संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करते हों।

भारत में मौलिक अधिकारों की माँग - मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात सन् 1215 में इंग्लैण्ड के मैग्नाकार्टा से हुआ। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले सन् 1895 में माँग की गई। फिर 1915 में श्रीमती ऐनी बेसेण्ट द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान विधेयक या होमरूल विधेयक में मूल अधिकारों की माँग प्रस्तुत की गई। 1925 में दि कॉमनवेल्थ ऑफ इण्डिया बिल में अधिकारों की भी घोषणा निहित थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प पास कर निर्धारित किया कि भारत के भावी संविधान का आधार मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। सर्वदल सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति (1928) ने जिस भावी संविधान की संस्तुति की थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। सन् 1946 में क्रिप्स कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारण्टी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की।